अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

59
09.01.2023

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 24 आर० 15/2017–18

1. विकाश कुमार पिता श्री परमेश्वर साव,

2. श्रीमती स्वेता कुमारी साहू, पति –श्री विकाश कुमार

दोनों निवासी किशोरगंज चौक, रोड नं०–5/2,

थाना– सुखदेवनगर जिला–रॉची .... प्रार्थी

बनाम

अजम्बर गंझू, पिता रामजीत गंझू,
निवासी ग्राम नेवरी थाना सदर, जिला – राँची ....उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी विकाश कुमार एवं श्रीमति स्वेता साहु ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 34 आर० 15/2013–14 मे पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची ने प्रार्थी द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत कर दिया है।

प्रार्थी ने ॲचलाधिकारी कॉके के समक्ष मौजा–नेवरी थाना संख्या–45, खाता संख्या–57, प्लॉट संख्या–756 एवं 757, क्रमशः रकबा 0.16 ए० एवं 0.04 ए०. कुल द्य रकबा 0.20 एकड़ भूमि के नामान्तरण दाखिल खारिज वाद संख्या–1350 आर० 27/ 12–13 दायर किया, जिसे विद्वान ॲचलाधिकारी कॉके ने आदेश दिनांक 28.08.2012 द्वारा अस्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ प्रार्थी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची के समक्ष दा० खा० अपील वाद सं० 34 आर० 15/2013–14 दायर किया, जिसमे विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने आदेश दिनांक 08.12.2016 द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, वादग्रस्त भूमि का प्लॉट नं०–756 रकबा – 16डी० भूमि पूर्व में ही अजम्बर गंझु को बेची जा चुकी है एवं प्रार्थी को इस जमीन का पुनः

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग. कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

बेची गई है, इस प्रकार प्रार्थी का प्लॉट नं०–756 पर का दावा पर विचार नहीं किया जा सकता है।

तथापि उक्त आदेश दिनांक 08.12.2016 मे विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने प्रार्थी को प्लॉट नं0–757, रकबा 04 डी० बेलान भूमि के लगान निर्धारण हेतु आवेदन–पत्र समर्पित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार

मौजा–नेवरी (विकास), खाता सं0–57, प्लॉट सं०–756, रकबा 16 डी० एवं प्लॉट सं0–757, रकबा 04 डी० कुल रकबा –20 डिसमिल भूमि आर० एस० खतियान मे प्रेतु सिंह एवं लेटगू सिंह के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत प्रेतु सिंह अपने पीछे एकमात्र पुत्र मोहन सिंह को छोड़ गये, जो अपनी पत्नी बंधनी साहु एवं दो नाबालिग पुत्र बिगन सिंह एवं शिवनाथ सिंह को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। अन्य खतियानी रैयत लेटगू सिंह अपने पीछे एकमात्र पुत्र बैजनाथ सिंह को छोड गये, जो अपने पिछे एकमात्र पुत्र तुलसी सिंह को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। खतियानी रैयत के मध्य हुए आपसी पारिवारिक समझौते के तहत्त मौजा–नेवरी के खाता सं0–57, प्लॉट नं0–756, रकबा 16 डी० भूमि खतियानी रैयत, लेटगू सिंह को आवंटित किया गया एवं मौजा–नेवरी, खाता सं0–57, प्लॉट नं०–757, रकबा 04 डी० खतियानी रैयत प्रेतु सिंह को आवंटित हुआ। उपरोक्त बिगन सिंह एवं शिवनाथ सिंह द्वारा अभिभावक (माँ) बंधनी देवरी ने मौजा–नेवरी (विकास) के खाता सं0–57, प्लॉट सं०–757 रकबा 04 डी० समेत अन्य भूमि जगलाल गंझू, पिता स्व० खद्दु गंझू को निबंधित विक्रय पत्र संख्या–728/88 द्वारा हस्तांतरित कर दिया। तत्पश्चात् उक्त जगलाल गंझू ने उपरोक्त भूमि का नामान्तरण अपने नाम से कराया एवं सरकारी लगान अदा करने लगे। उपरोक्त जगलाल गंझू अपने पीछे अपनी पत्नी, चौती देवी को छोड़ स्वर्गवास हो गये, जिसके उपरान्त उक्त चौती देवी ने उपरोक्त भूमि का नामान्तरण अपने नाम से कराकर लगान का भुगतान करने लगी।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उपरोक्त तुलसी सिंह द्वारा अधिकृत पावर ऑफ एटॉर्नी होल्डर, महेन्द्र महतो, पिता दयाराम महतो एवं चौती देवी ने मौजा– नेवरी, प्लॉट सं०–756, रकबा 16 डी० एवं प्लॉट नं0–757, रकबा 04 डी० कुल रकबा 20 डी० भूमि प्रार्थी विकास कुमार पिता– परमेश्वर साव एवं श्वेता कुमारी साहु, पति–श्री विकास कुमार को निबंधित विक्रय पत्र संख्या–9340/8191. दिनांक 26.06.2012 द्वारा हस्तांतरित कर दिया तथा उन्हे उपरोक्त भूमि पर दखल प्रदान किया। वर्त्तमान मे उपरोक्त प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी विकास कुमार एवं श्वेता कुमारी साहु का दखल कब्जा चला आ रहा है।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

खतियानी रैयत के वंशज तुलसी सिंह ने प्रश्नगत भूमि अर्थात मौजा– नेवरी के खाता सं० 57, प्लॉट सं०–756, रकबा 16 डी० भूमि निबंधित पट्टा दिनांक 16.02.1993 द्वारा उत्तरवादी अजम्बर गंझु को हस्तांतरित कर दिया। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी उत्तरवादी अजम्बर गंझु के नाम से पंजी ।। के भाग सं० 6 पृ० सं० 25 मे कायम है तथा अद्यतन लगान रसीद भी निर्गत है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्त को सुना। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संबंधित राजस्व कर्मचारी / अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्लॉट सं० 757, रकबा 04 डी० भूमि खतियान में पीरतु सिंह वगैरह, कौम गंझू के नाम से दर्ज है तथा जमीन का दर्जा मकान–सहन दर्ज है। खतियान में जमीन बेलगान दर्ज है। प्लॉट सं०–756, रकबा 16 डी० भूमि की बिक्री तुलसी सिंह द्वारा दस्तावेज सं० 1470, दिनांक–15.02.1993 से अजम्बर गंझू के नाम से हो चुकी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पश्ट है कि मौजा नेवरी के प्लॉट सं० 756, रकबा 16 डी० भूमि पूर्व में ही विक्री हो चुकी है एवं जमाबंदी भी प्रश्नगत भूमि के क्रेता /उत्तरवादी के नाम से कायम है। इसलिए विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप करने का

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 4

कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः यह पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत किया जाता है तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 34 आर० 15/2013–14 मे पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 को बहाल रखा जाता है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेशित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखपित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.31 15:18:09 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d